संलग्नक-क
Annexure-2

संख्या–1136 / 24–ऊ0नि0नि0प्र0 / 13–105(प्रकोष्ठ) / 13

प्रेषक,

संजय अग्रवाल,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा (नि0नि0) प्रकोष्ठ लखनऊ, दिनांकः 09 दिसम्बर, 2013

विषयः समझौता ज्ञापन रूट के अन्तर्गत स्थापित की जा रही निजी क्षेत्र की परियोजनाओं में पीपीए के पश्चात पूरी की जाने वाली शर्तों हेतु समय बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–447 / 24–ऊ0नि0नि0प्र0 / 12–440 / 12 दिनांक 08 जून, 2012 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समझौता ज्ञापन रूट के अन्तर्गत स्थापित की जा रही निजी क्षेत्र की परियोजनाओं में पी0पी0ए0 के पश्चात पूरी की जाने वाली शर्तों हेतु समय बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में आपके द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 04.12.2013 पर सम्यक् विचारोपरान्त कुल 09 परियोजनाओं, (जो नीचे तालिका में उद्धत है) हेतु ऊर्जा कय अनुबन्ध के प्रस्तर 3.1 में Condition Subsequent को पूरा करने के लिए अन्तिम बार 18 माह अथवा विकासकर्ताओं द्वारा माँगे गये समय विस्तार (जो भी कम हो) की समय बढ़ोत्तरी निम्न शर्तों के प्रतिबन्धाधीन अनुमन्य करने का निर्णय लिया गया है :–

क0 सं0	विकासकर्ता
1	2
1	मे0 ललितपुर पावर जनरेशन कं0 (ललितपुरपरियोजना– 1980मे0वा0)
2	मे0 हिमावत पावर प्रा0 लिमि0, (भोगिनीपुर फेस–1 परियोजना–1320 मे0वा)
3	मै लैन्कों अनपारा पावर लिमि0 (भोगिनीपुर फेस–2 परियोजना–1320 मे0वा0)
4	मै0 मुर्का पावर –प्रमोटर कियेटिव थर्मोलाईट ,प्रा0लिमि0, (मुर्का परियोजना– 600 मे0वा0)
5	मे0 बजाज हिन्दुस्तान लि0 (ललितपुर द्वितीय चरण परियोजना – 1980 मे0वा0)
6	मे0 त्रिशक्ति पावर (बाराबंकी परियोजना –250 मे0वा0)
7	मे0 यू0एम0 पावर लि0 (औरैया परियोजना –250 मे0वा0)
8	मै0 टोरेन्ट पावर लिमि0 (सण्डीला परियोजना–1320 मे0वा0)
9	मै0 वेलस्पन पावर लिमि0 (मिर्जापुर परियोजना –1320 मे0वा0)

(क) ललितपुर प्रथम चरण परियोजना जिसमें विकासकर्ता द्वारा फाइनेंसियल क्लोजर प्राप्त कर लिया गया है एवं परियोजना का निर्माण कार्य तीव्र गति से प्रगति पर है, तथा विकासकर्ता द्वारा कोल लिंकेज को छोड़कर ऊर्जा कय अनुबन्ध के प्रस्तर 3.1 में उल्लिखित Condition Subsequent को पूरा कर लिया गया है एवं विकासकर्ता, Presidential Directives के आधार पर कोल लिंकेज प्राप्त करने हेतु आश्वस्त है, को दृष्टिगत इसे अतिरिक्त बैंक गारण्टी की शर्त से मुक्त रखा जाय।

(ख) शेष अन्य 08 विकासकर्ताओं से निम्नवत अतिरिक्त बैंक गारण्टी ली जाय :–

- जिन विकासकर्ताओं के पास पूरी आवश्यक जमींन उपलब्ध है (भोगिनीपुर फेज–01 एवं फेज–02, मिर्जापुर व बाराबंकी स्थित), उनसे पूर्व में दी गयी बैंक गारण्टी की राशि के अतिरिक्त 50 प्रतिशत राशि की बैंक गारण्टी ।
- जिन विकासकर्ताओं के पास आंशिक जमींन उपलब्ध है (ललितपुर द्वितीय चरण, औरैया एवं मुर्का स्थित), उनसे पूर्व में दी गयी बैंक गारण्टी की राशि के अतिरिक्त 75 प्रतिशत राशि की बैंक गारण्टी ।
- जिन विकासकर्ताओं के पास जमीन नहीं उपलब्ध है (सण्डीला स्थित) उनसे पूर्व में दी गयी बैंक गारण्टी की राशि के अतिरिक्त 100 प्रतिशत राशि की बैंक गारण्टी ।

सभी विकासकर्ताओं से पूर्व में दी गयी बैंक गारण्टियों तथा अतिरिक्त बैंक गारण्टियां (जो भी लागू हो) की वैधता स्वीकृत समय विस्तार के अनुरूप बढ़वायी जाय ।

(ग) ललितपुर प्रथम चरण परियोजना, को छोड़ करके अन्य सभी परियोजनाओं को समय विस्तार स्वीकृत करते हुए यह शर्त रखी जाय कि परियोजनाओं की वाणिज्यिक उत्पादन तिथि (सी०ओ०डी०) की गणना फाइनेंशियल क्लोजर प्राप्त करने की तिथि से अथवा केन्द्र सरकार से दीर्घकालीन कोल लिंकेज प्राप्त करने की तिथि से (जो भी बाद में हो) की जायेगी।

(घ) यह शर्त भी लगायी जाय कि परियोजनाओं से ऊर्जा निकासी हेतु पारेषण प्रणाली का निर्माण पूरा हो जाता है और परियोजना से विद्युत उत्पादन प्रारम्भ नहीं किया जाता है तो पारेषण प्रणाली का जो टैरिफ पारेषण तंत्र के विकासकर्ता को अनुमन्य होगा उसका भुगतान किये जाने का पूर्ण विधिक उत्तरदायित्व सम्बन्धित परियोजना के प्रमोटर/डेवेलपर का होगा तथा इस हेतु विद्युत उत्पादक को एक विधिक अनुबन्ध करना होगा।

(ङ) सभी विकासकर्ताओं को समय बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप परियोजना लागत मे अतिरिक्त आई०डी०सी० अनुमन्य नहीं की जायेगी।

2– पी०पी०ए० के प्रस्तर–18.1 के आलोक में विकासकर्ताओं से पारस्परिक सहमति प्राप्त करने के उपरान्त मा० उ०प्र० विद्युत नियामक आयोग से अनुमोदनोपरान्त ऊर्जा क्रय अनुबन्धों में यथावश्यक संशोधन किये जायें।

3– कृपया उपरोक्तानुसार यथाआवश्यक कार्यवाही समय अन्तर्गत सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संजय अग्रवाल)
प्रमुख सचिव